कार्यालय नगर पालिक निगम, रायगढ़ (छ.ग.)

Phone No. : - 07762-222911, Fax No. : - 07762-222923
Email : - nraigarh@ymail.com website – www.nagarnigamraigarh.com

क्रमांक..1240/वा. वि. /न.पा.नि./2023 रायगढ़, दिनांक26/7/2023

–: तृतीय निविदा आमंत्रण सूचना :–

नगर पालिक निगम, रायगढ़ वाहन विभाग में 01 नग पोर्टेबल क्लीनिंग मशीन प्रदाय कार्य, (कार्य की अनु. लागत राशि 12.98/- लाख रु. अमानत राशि 13,000.00/- रु. निविदा प्रपत्र शुल्क 750.00/- रू.) अधिकृत विक्रेता/सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार (GST पंजीयन प्रमाण पत्र होना चाहिए) से निविदा प्रपत्र "स" नगर पालिक निगम, रायगढ़ की वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com से निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर पूर्ण रूप से भर कर निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित प्रपत्र शुल्क डी.डी. के माध्यम से दिनांक 07-08-23 अपरान्ह 04:00 बजे तक स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डाक से मुहर बंद निविदाएं त्रि–लिफाफा पद्धति से आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाए उसी दिन अपरान्ह को सायं 04:30बजे उपस्थित निविदाकारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जावेगी।

नोट :–*नियम एवं शर्तें संलग्न कर वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com/uad.cg.gov.in पर अपलोड है।
*कार्य का अन्य विवरण एवं नियम शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन समय में देखा जा सकता है।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्र. 1240/वा. वि./न.पा.नि./2023 रायगढ़, दिनांक 26-7-23

प्रतिलिपि :–

1. मान. महापौर/सभापति/प्रभारी वाहन सदस्य (MIC) नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त महोदय, नगर पालिक निगम, रायगढ़ को सादर सूचनार्थ।
3. प्रोगामर डाटा सेंटर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, अटल नगर नवा रायपुर (छ.ग.) को विभागीय वेबसाईट में अपलोड किये जाने हेतु सूचनार्थ।
4. प्रभारी जनसंपर्क नगर पालिक निगम, रायगढ़ को विज्ञापन देने कार्यवाही हेतु पालनार्थ।
5. संपादक दैनिक समाचार पत्र .... को .... से.मी. में प्रकाशन हेतु प्रेषित।
6. कार्यालय नगर पालिक निगम रायगढ़ के नोटिस बोर्ड में चस्पा हेतु।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)

वाहन विभाग हेतु पोर्टेबल क्लीनिंग मशीन प्रदाय कार्य के नियम एवं शर्ते :–

01. निविदा प्रपत्र नगर निगम रायगढ़ की वेबसाईट www.nagarnigamraigarh.com से निविदा प्रपत्र फॉर्म C को डाउनलोड कर निर्धारित मूल्य का डिमांड ड्रॉफ्ट जो आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो, संबंधित कार्य का नाम, पूर्ण पता, विवरण सहित भरकर भेजना होगा।

02. निविदा त्रि–लिफाफा पद्धिति से मान्य किया जावेगा जो निम्नानुसार है :–

(i) प्रथम लिफाफा में निर्माणकर्ता/अधिकृत विक्रेता/पंजीकृत ठेकेदार पंजीयन प्रमाण पत्र धारी, आयकर प्रमाण पत्र, पेन नम्बर के प्रति, GST नम्बर तथा मांग किये गये अन्य तकनीकी दस्तावेज के साथ निर्धारित अमानत राशि टी.डी.आर./एफ.डी.आर./एस.टी.डी.आर/बैंकर्स चैक तथा निर्धारित प्रपत्र शुल्क डिमांड ड्रॉप्ट/बैंकर्स चैक के रुप में जो कि आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़ के नाम से देय हो, 100.00/-रु. नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर (annexure 13) देना होगा। प्रथम लिफाफा सही पाये जाने पर ही द्वितीय लिफाफा खोला जायेगा।

(ii) द्वितीय लिफाफे में निर्धारित निविदा प्रपत्र पूर्ण रुप से तथा दर अंको एवं शब्दो में स्पष्ट रुप से भरकर देना होगा।

(iii) तृतीय लिफाफे में प्रथम लिफाफे एवं द्वितीय लिफाफे को रखकर सीलबंद कर (लिफाफे के उपर स्पष्ट रुप से निविदा क्र. लिखा होना चाहिए), स्पीड पोस्ट/पंजीकृत डाक के माध्यम से निर्धारित समयावधि में भेजना होगा एवं अन्य किसी माध्यम से जैसे व्यक्तिगत या कोरियर आदि से भेजे गये निविदा स्वीकार नही की जावेगी। निर्धारित तिथि व समय के पश्चात प्राप्त निविदायें स्वीकार नहीं की जावेगी और न ही खोली जावेगी तथा वापस कर दी जावेगी, डाक विलम्ब के लिए नगर पालिक निगम, रायगढ़ जिम्मेदार नहीं होगा।

03. छ.ग. में एकीकृत "डी वर्ग" एवं उच्च श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदारों जिनके पास एस.बी.एम कार्य का स्वयं अनुभव हो अथवा अनुभवी अशासकीय संगठन/कम्पनी के अनुभव आधार पर साथ में कार्य करने का 100.00 रु. के स्टॉम्प पेपर में सहमति प्राप्त कर निविदा के समय दस्तावेज प्रस्तुत करने की स्थिति में निविदा में भाग ले सकते है। इसके अतिरिक्त देश में पंजीकृत अशासकीय संगठन/कम्पनी जिनके द्वारा रायगढ़ के नाम से प्रस्तुत कर निविदा में सीधे भाग ले सकते है। अशासकीय संगठन अथवा कम्पनी होने की स्थिति में रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट तथा पार्टनरशीप होने पर उसके दस्तावेज संलग्न करना होगा।

04. लोक निर्माण विभाग में पंजीकृत ठेकेदारों द्वारा निविदा में भाग लिये जाने की स्थिति में उनके द्वारा स्वयं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कार्य संपादित किये जाने का अनुभव हो अथवा किसी अनुभवी कम्पनी/अशासकीय संगठन जिसने स्वयं कार्य संपादित किया गया हो, उससे इस आशय की लिखित सहमति प्राप्त किया जावे।

05. अशासकीय संगठन/कम्पनी होने की स्थिति में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्षेत्र में कार्य का अनुभव होना चाहिए तथा देश की किसी नगर पालिका/नगर पंचायत/नगर निगम/अधिसूचित क्षेत्र समिति/कन्टेनमेंट बोर्ड/भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के उपक्रम/शासकी प्रतिष्ठानों में सामग्री आपूर्ति/स्थापना एवं संचालन का अनुभव हो एवं इस तरह का कार्य पिछले तीन वर्षों में 25 लाख अथवा उससे अधिक लागत मूल्य का संपादित किया गया हो।

06. आयकर विवरणी प्रस्तुतीकरण वर्ष 2021–22 से ज्यादा पुराना नहीं हो तथा संबंधित फर्म के नाम से जी.एस.टी. में पंजीयन एवं पेन नं. होना चाहिए।

07. मरम्मत हेतु आवश्यक मशीनरी पार्टस एक वर्ष तक उपलब्ध कराने का दायित्व होगा, जिसके लिए मूल निविदा राशि की 10% राशि रोकी जावेगी।

08. सफल निविदाकार को पूर्व वास्तविक क्रय मूल्य का कम से कम 03% सुरक्षा निधी के रुप में राशि जमा करना अनिवार्य होगा। इसके पश्चात् ही कार्यादेश जारी करने की कार्यवाही की जावेगी।

09. निविदा खुलने की निर्धारित तिथि पर अवकाश होने पर आगामी दिवस को मान्य किया जावेगा।

10. लिफाफा में स्टेपलर से पिन किया हुआ मान्य नहीं होगा एवं लिफाफा को सेलो टेप से पूर्णताः बंद करना होगा तभी मान्य होगा अथवा बंद लिफाफा पूर्ण रूप से चिपकाने अथवा स्टेपलिंग करने के बाद सेलो टेप से चिपकाना अनिवार्य होगा।

11. निविदा स्वीकृत की वैधता 180 दिनों की होगी। निविदाकर द्वारा निविदा दर समस्त करों सहित उल्लेखित की जावे। नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा स्वीकृत निविदा दर के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जावेगा।

12. बाजार दर में वृध्दि होने के स्थिति में पृथक से कोई राशि देय नहीं होगी।

13. निर्धारित समयावधि में इकरारनामा नही करनें पर आयुक्त नगर पालिक निगम रायगढ़ द्वारा निविदा निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि राजसात कर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।

14. कार्य का अन्य विवरण, देयक से काटी जाने वाली राशि एवं नियम शर्तें कार्यालय में कार्यालयीन अवधि में देखा जा सकता है।
15. कार्यादेश जारी होने के बाद कार्य नहीं करने या अपूर्ण स्थिति में छोड़ने पर निगम द्वारा निवदाकार को आगामी 06 माह के लिए किसी भी निविदा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया जावेगा।
16. नियम एवं शर्ते अनुबंध का एक भाग होगा। सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी।
17. किसी भी निविदा को बिना कारण बताए स्वीकृत/अस्वीकृत/निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता के पास सुरक्षित रहेगा।
18. कार्यालय द्वारा प्रदाय किये गये वाहन में उक्त मशीन की स्थापना/ Installation प्रदायकर्ता को स्वयं के व्यय से करना होगा।
19. मशीन संचालन हेतु निगम कर्मचारी को आवश्यक प्रशिक्षण देना अनिवार्य होगा।
20. कार्य के संबंध में नगर पालिक निगम अधिनियम/कार्य विभाग मेन्युअल/भण्डार क्रय नियम 2002 (यथा संसोधित 2022) के प्रावधान समान रुप से प्रभावशील एवं बंधनकारी रहेगें।
21. उपरोक्त सामग्री मांग अनुरुप संलग्न स्फेशिफीकेशन के आधार पर करना होगा।
22. समय–समय में शासन/उच्च अधिकारियों द्वारा जारी निर्देश स्वतः प्रभावशील होगे।
23. नगरीय प्रशासन एवं विकास के अधिकारियों द्वारा निरीक्षण उपरांत दिये गये निर्देश/सुधार का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

कार्यपालन अभियंता
नगर पालिक निगम
रायगढ़ (छ.ग.)